

भारतीय विज्ञान संस्थान INDIAN INSTITUTE OF SCIENCE
बेंगलूर Bengaluru- 560012

स्वामित्व अनुच्छेद प्रमाण पत्र PROPRIETARY ARTICLE CERTIFICATE
(जीएफआर -2017 नियम 166 के तहत Under GFR-2017 Rule 166)

- (i) मांग पत्र में उल्लिखित माल मैसर्स द्वारा निर्मित होता है। The indented goods are manufactured by M/s.....
- (ii) निम्नलिखित कारणों से कोई अन्य मेक या मॉडल स्वीकार्य नहीं है। No other make or model is acceptable for the following reasons :
- (iii) प्रस्ताव के लिए वित्त शाखा की सहमति Concurrence of finance wing to the proposal vide: के अनुसार
- (iv) सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन Approval of the competent authority vide: के अनुसार

स्थान Place:

(मांग करनेवाले प्राधिकारी के
हस्ताक्षर के साथ पदनाम और तिथि
Signature with date & designation
of the Indenting Authority)

(विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर Signature of the Chair of the Dept.)

(संदर्भ के लिए जीएफआर -2017 नियम 166 नीचे दिया जाता है)

Rule 166 of the GFR 2017 is reproduced below for reference)

नियम 166 : एकल निविदा पूछताछ : एकन स्रोत से प्रापण निम्नलिखित परिस्थितियों में लिया जा सकता है:

Rule 166: Single Tender Enquiry: Procurement from a single source may be resorted to in the following circumstances :

- (i) यह उपयोगकर्ता विभाग के ज्ञान में है कि केवल एक विशेष फर्म ही आवश्यक वस्तुओं के निर्माता है।
It is in the knowledge of the user department that only a particular firm is the manufacturer of the required goods
- (ii) आपातकाल के मामले में, किसी विशिष्ट स्रोत से जरूरी सामान खरीदना आवश्यक है और इस तरह के निर्णय का कारण दर्ज किया जाना है और सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करना है।
In a case of emergency, the required goods are necessarily to be purchased from a particular source and the reason for such decision is to be recorded and approval of competent authority obtained.
- (iii) उपकरणों के मौजूदा सेट के अनुरूप होने के लिए मशीनरी या स्पेयर पार्ट्स के मानकीकरण के लिए (एक सक्षम तकनीकी विशेषज्ञ की सलाह पर और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित), आवश्यक वस्तु केवल एक चयनित फर्म से खरीदी जा सकती है।
For standardisation of machinery or spare parts to be compatible to the existing sets of equipment (on the advice of a competent technical expert and approved by the competent authority), the required item is to be purchased only from a selected firm.